प्र.47 | GCMS-2019/00292

336/2019

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज

भवानीशंकर V/s भूमिधारी

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए

3/8/21 वकील प्रार्थी उप०। बहस हेतु अवसर चाहा वास्ते बहस पत्रावली दि० 18/8/21 को पेश हो।

18/8/21 वकील प्रार्थी उप०। बहस एकपक्षीय सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 31-8-21 को पेश हो।

31/8/2021 पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील प्रार्थी उप0। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया। बहस सुनने व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात, फर्द मौका रिपोर्ट सीमाज्ञान दिनांक 24.10.2018 का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि राजस्व ग्राम बंधावाला भोपालपुरा स्थित वादग्रस्त भूमि प्रार्थी की सहखातेदारी की भूमि है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अपनी खातेदारी की भूमि की पत्थरगढ़ी का अनुतोष चाहा हैं। अतः पडौसी खातेदारान, सहखातेदारान व प्रार्थी को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि सीमाज्ञान मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी बाबत् पत्थरगढ़ी स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम बंधावाला भोपालपुरा स्थित भूमि खसरा नंबर 479 की चर्तुसीमाओं की प्रार्थी, सहखातेदारान एवं पडौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि मुताबिक सीमाज्ञान 24.10.2018 पत्थरगढ़ी की जावे। तहसीलदार नीमकाथाना को इस हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली बाद फैसल शुमार व नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)